

नंबर व तारी  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
जारी हुए

हैं ना ही <sup>अपना</sup> लखे का डिग्रा हैं। अतः विवाद ग्राम  
भूमि का कोई सगडा विवाद नहीं है। फिर भी  
विवादग्राम भूमि पर दोनों पक्ष वर्तमान स्थिति का  
अभावत रखें। अतः अदालत आदेश देती है कि  
विवादग्राम भूमि मौजे सेव रिजर्व की अधाबिधी  
बनाये रखे। मुलकाद के जैल ले तक यदि स्थिती  
बनाये रखते हुए दोनों पक्ष पाबंध हो। मुलकाद के  
तामैभला तक अधाबिधी बनाये रखें। पतावली  
जैल ले में शुमार होकर मुल पतावली के साथ हो।

  
SDO

उपस्थित । पत्रावली वाले बख्त के  
दिनांक 28/6/18 की पेश है ।

2  
S/O

पत्रावली

01/01/18

रानीला

28/6/18

पत्रावली लोक अदालत / केस कोर्ट में पेश हुई । राजीनामा  
को पेश है ।

7/8/18

2  
S/O

28/6 पत्रावली पेश हुई । वकील आधी-अधुनी  
उप. उमरपस के वकील ने बख्त सुनी  
गई । बख्त ने यह जाहिर हुआ कि वकील  
शुद्धि पर विपरीतता का कोई अर्थ नहीं